न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 30/2016 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2016/00022

उनवान

हरीराम पुत्र किरोडीलाल जाति कुम्हार निवासी अंधियारी सब तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. दुष्यन्त कुमार उम्र 15 साल } पुत्रान राजेश कुमार नाबालिगान जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता
2. शिवकुमार उम्र 12 साल } श्रीमती राजवती पत्नी राजेश कुमार जाति कुम्हार निवासी अंधियारी सब तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अंतर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 विरूद्ध आदेश न्यायालय सहा0कलक्टर, उच्चैन दिनांक 21.06.2016 उनवानी दुष्यन्त कुमार बनाम हरीराम मु0न0 86/13

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री धर्मेन्द्र प्रजापति उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 23.05.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन के आदेश दिनांक 21.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0/प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अपीलाण्ट/अप्रार्थी इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी, रैस्पो0/प्रार्थीगण एवं अपीलाण्ट/अप्रार्थी की पैतृक आराजी है। जिसमें रैस्पो0/प्रार्थीगण को अपने जन्म से ही खातेदारी अधिकार निहित है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी की खातेदारी का इन्द्राज अपीलाण्ट/अप्रार्थी के नाम कर्ता खानदान होने से खिलाफ कानून व खिलाफ मौका हो रहा है। अपीलाण्ट/अप्रार्थी व रैस्पो0/प्रार्थीगण के पिता राजेश कुमार शराब मदिरा पीने के अभ्यस्त हो गये हैं, जो अपनी इस बुरी आदतो की पूर्ति के लिए विवादित आराजी को बिना किसी विधिक आवश्यकता दीगर व्यक्तियों को रहन वय करने को उतारू हैं। यदि अपीलाण्ट/अप्रार्थी अपनी उक्त मंशा में कामयाब हो गये तो रैस्पो0/प्रार्थीगण को अपरमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति जरिये नकद संभव नहीं हो पायेगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ताफैसला मूल वाद अप्रार्थी को जरिये हुक्म

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इम्तनाई पाबन्द फरमाये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से ता फैसला अन्तरिम स्थगन, विरूद्ध अपीलाण्ट/अप्रार्थी कन्फर्म कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/अप्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है, जो काबिले मंसूखी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि दादा की सम्पत्ति में पिता के रहते हुए, पौत्र का कोई अधिकार दावा लाने का नहीं है। बाबा के जीवनकाल में पिता के रहते हुए उसका हक/हिस्सा नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रैस्पो0 के नोशनल शेयर तक अस्थायी निषेधाज्ञा कन्फर्म करने का आदेश दिया है जबकि अपीलाधीन आदेश में नोशनल शेयर स्पष्ट नहीं किया है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस प्रकार की कोई साक्ष्य नहीं थी कि विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है तथा ना ही आदेश में पैतृक सम्पत्ति माना है, किन्तु फिर भी कयास के आधार पर रैस्पो0 का हिस्सा मान लिया है। प्रथम दृष्टया केस रैस्पो0 के हक में नहीं था एवं ना ही सुविधा का संतुलन ही रैस्पो0 के हक में है। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से अपीलाण्ट को, अपनी ही भूमि के उपयोग में बाधा पहुँचती है। मौके पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है एवं रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलाधीन आदेश NON SPEAKING आदेश है। क्योंकि अपीलाधीन आदेश में अस्थायी निषेधाज्ञा के कारण नहीं बताये हैं तथा ना ही प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं अपरमित क्षति के बिन्दु को रिकार्ड तथा साक्ष्य के आधार पर तय किया है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आर0आर0टी0 2009(1) पेज 162 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत कैम्प अंधियारी में सभी पक्षकारो की मौजूदगी में, उनकी सहमति ली जाकर निर्णित किया गया है। लोक अदालत में पारित निर्णय की अपील लाई नही करती है। विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है एवं विवादित भूमि में रैस्पो0 को अपने जन्म से ही खातेदारी अधिकार निहित है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 21.06.2016 में अपीलाण्ट/प्रतिवादी की उपस्थिती एवं सहमति के हस्ताक्षर अंकित हैं, जिससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि अपीलाधीन आदेश पक्षकारो की सहमति उपरान्त ही पारित हुआ है। अपीलाण्ट/प्रतिवादी का अब प्रस्तुत अपील में यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनकी सहमति दिया जाना गलत अंकित किया है की पुष्टि में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 21.06.2016 में पक्षकारों की सहमति एवं हस्ताक्षर अंकित है, इस तथ्य को जब तक गलत नही माना जा सकता, जब तक इन्हें किसी प्रमाणिक साक्ष्य से गलत सिद्ध नही कर देते। वैसे भी दौराने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद विवादित आराजी का क्षय रोकने एवं वाद जटिलता, बहुलता से बचने के लिए रिकार्ड व मौके की यथास्थिति निरापद है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के निर्णय दिनांक 21.06.2016 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 23.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official